मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5-2/2014/सात-(एक)/3588-A   भोपाल, दिनांक 31.07.2019

प्रति,

समस्त संभागायुक्त/कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि के प्रदाय एवं समाधान एक दिवस अंतर्गत सेवा क्रमांक 4.2 चालू खसरा/खतौनी की प्रतिलिपि के प्रदाय, सेवा क्रमांक 4.3 नक्शा की प्रतिलिपि के प्रदाय की प्रक्रिया।

संदर्भ:- 1. मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 19.07.2019 अधिसूचना क्रमांक-एफ 2-7/2019/सात/शा.7 दिनांक 18-07-2019

2. आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश का आदेश क्रमांक 741/11-भू.प्र./लो.से.गा./2019 दिनांक 31.07.2019

3. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का आदेश क्रमांक एफ 5-2/2014/सात-(एक), भोपाल, दिनांक 04.01.2018

4. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग का आदेश क्रमांक एफ 5-3/2014/सात-(एक), भोपाल, दिनांक 28.01.2014

---//---

1. **सेवा का उद्देश्य-** नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा में सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियां प्रदाय किये जाने हेतु सुसंगत नियमों में संदर्भित पत्र क्रमांक 1 अनुसार संशोधन किये गये हैं।

2. **प्राधिकृत सेवा प्रदाता-** आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 741/11-भू.प्र./लो.से.गा./2019 दिनांक 31.07.2019 अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों में कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा किये गये अनुबंध के अनुसार M/s Bhopal E-Governance Ltd., Bhopal द्वारा संचालित आई.टी.सेन्टर तथा लोकसेवा प्रबंधन विभाग द्वारा संचालित लोकसेवा केन्द्र प्राधिकृत सेवा प्रदाता रहेंगें।

3. **पदाभिहित अधिकारी का पदनाम-** जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी।

4. **पात्रता-** इस सेवा के तहत कोई भी नागरिक नकल ले सकता है।

5. **आवश्यक दस्तावेज:-** इस सेवा के लिये किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

6. **आवेदन करने का स्थान-** लोकसेवा केन्द्र अथवा M/s Bhopal E-Governance Ltd. द्वारा संचालित आई.टी. सेन्टर अथवा ऑन-लाइन भूलेख पोर्टल **(https://mpbhulekh.gov.in)** पर।

7. **आवेदन एवं सेवा देने की प्रक्रिया-**

7.1. **लोकसेवा केन्द्र में आवेदन एवं सेवा देने की प्रक्रिया-**

7.1.1. आवेदक जिला/तहसील में स्थित लोकसेवा केन्द्र में कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा।

Scanned by CamScanner

7.1.2. आवेदन का पंजीयन लोकसेवा केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन किया जायेगा।

7.1.3. आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम की धारा 5(1) के अंतर्गत आवेदक को प्रदाय की जायेगी।

7.1.4. आवेदन भरते समय आवेदक द्वारा मोबाईल नम्बर दिया जाना अनिवार्य है, इसके अलावा आवेदक द्वारा ईमेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भी भरा जायेगा।

7.1.5. आवेदन करने के लिए प्रतिलिपि शुल्क (कंडिका 8 अनुसार) के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। NIC साफटवेयर के माध्यम से प्रतिलिपि दिये जाने पर, आपरेटर द्वारा NIC की वेबसाईट (www.landrecords.mp.gov.in) पर जाकर आवेदित भूमि की प्रतिलिपि देखकर पृष्ठों की गणना की जायेगी, तदनुसार आवेदक से आवेदन के साथ प्रतिलिपि शुल्क लिया जायेगा।

7.1.6. लोकसेवा केन्द्र पर आवेदन ऑनलाईन दर्ज होते ही संबंधित पदाभिहित अधिकारी के अकाउंट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जायेगा।

7.1.7. पदाभिहित अधिकारी द्वारा ऑन लाइन, पहले आयें पहले पायें के आधार पर आवेदन का निराकरण किया जायेगा।

7.1.8. जिन जिलों में NIC साफटवेयर के माध्यम से प्रतिलिपि प्रदाय की जा रही है वहाँ रनर द्वारा संबंधित कार्यालय से रिकार्ड की प्रति प्राप्त की जाकर अभिप्रमाणित प्रति आवेदक को प्रदाय की जायेगी।

7.1.9. जिन जिलों में वेब जी.आई.एस. लागू है वहाँ भूलेख पोर्टल (https://mpbhulekh.gov.in) के माध्यम से रिकार्ड की डिजिटली साईन्ड प्रति डाउनलोड की जाकर तत्काल आवेदक को प्रदाय की जायेगी।

7.1.10. यदि किसी कारण से सेवा अमान्य/निरस्त की जाती है तो सेवा निरस्त/अमान्य करने का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा एवं इसकी सूचना लोक सेवा केन्द्र प्रभारी द्वारा आवेदक को लिखित में दी जायेगी।

7.2. आई.टी.केन्द्र में आवेदन एवं सेवा देने की प्रक्रिया-

7.2.1. आवेदक जिला/तहसील में इस पत्र की कंडिका 2 अनुसार संचालित आई.टी. केन्द्र में कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेगा।

7.2.2. आवेदन का पंजीयन केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन भूलेख पोर्टल पर किया जाएगा।

7.2.3. आई. टी. केन्द्र प्रभारी चाहे गये अभिलेखों के पृष्ठों की जानकारी आवेदक को देकर, प्रतिलिपि शुल्क (कंडिका 8 अनुसार) प्राप्त करेगा तथा प्राप्त की गई राशि की रसीद WebGIS Software से प्रिंट कर आवेदक को प्रदाय करेगा।

7.2.4. भूलेख पोर्टल से रिकार्ड की डिजिटली साईन्ड प्रति डाउनलोड कर अभिलेखों की प्रतिलिपि आवेदक को प्रदाय करेगा।

7.2.5. यदि पदाभिहित अधिकारी यह पाता है कि कतिपय कारणों से प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है तो वह लिखित में कारण दर्शाते हुए आवेदन पत्र निरस्त करेगा तथा आवेदक को सूचित करेगा।

Scanned by CamScanner

7.3. ऑनलाईन आवेदन एवं निराकरण करने की प्रक्रिया-

7.3.1. आवेदक द्वारा भूलेख पोर्टल (https://mpbhulekh.gov.in) पर यूजर आई.डी. बनाकर ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा।

7.3.2. आवेदन दर्ज होने पर प्रतिलिपि शुल्क (कंडिका 8 अनुसार) जमा करने हेतु लिंक प्रदर्शित होगी।

7.3.3. आवेदक द्वारा (https://mpbhulekh.gov.in) ऑनलाईन गेटवे के माध्यम से प्रतिलिपि शुल्क जमा किया जायेगा।

7.3.4. आवेदक की यूजर आई.डी. पर डिजिटली साईन प्रतिलिपि पोर्टल पर आ जायेगी जिसका प्रिंटआउट आवेदक द्वारा लिया जा सकेगा।

7.4. **भूलेख पोर्टल के माध्यम से जारी प्रतिलिप डिजिटली साईन की जाती है अत: इसमें पृथक से स्याही के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। इस पोर्टल से जारी प्रतिलिपियों का सत्यापन पोर्टल के होम पेज पर स्थित Track Request Box में आवेदन क्रमांक (रसीद में अंकित) अथवा CLR No. (प्रतिलिपि में Upper Right Corner पर अंकित) डाल कर किया जा सकता है।**

7.5. प्राधिकृत सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिलिपि देने हेतु समय-सीमा लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा इस बाबत जारी अधिसूचना अनुसार रहेगी।

8. **प्रतिलिपि शुल्क:-** मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-7/2019/सात/शा-7 भोपाल दिनांक 18.07.2019 **(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के नियम 56 के भाग 3)** के अनुसार कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपियों के लिए निम्नानुसार प्रतिलिपि शुल्क प्रभारित किया जायेगा:-

राशि रूपये में

क्र.	अभिलेखों का विवरण	प्रथम पृष्ठ के लिए फीस	प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए फीस
1	एक साला/पांच साला खसरा या खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट के लिए	30.00	15.00
2	वजिब-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक के लिए	30.00	15.00
3	ए-4 आकार में नक्शे की प्रति के लिए	30.00	15.00

8.1. उपर्युक्त प्रतिलिपि शुल्क के अतिरिक्त प्राधिकृत सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क देय नहीं होगा।

8.2. एक आवेदन पर एक खसरा नम्बर या खाते के समस्त खसरा नम्बरों के अभिलेखों की एक या एक से अधिक प्रतियों के लिये आवेदन किया जा सकेगा, परन्तु पृथक पृथक खातों के लिए पृथक-पृथक आवेदन दिये जाने होंगें। प्रतिलिपि चालू वर्ष के साथ-साथ पूर्व वर्षों की भी ली जा सकेगी।

Scanned by CamScanner

9. **प्रभारित प्रतिलिपि शुल्क में से राशि विभाजन का निर्धारण-**

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 256 के भाग 3 के नियम 56 (ख) में विहित प्रावधान अनुसार प्रतिलिपि प्रदाय हेतु लिये जाने वाले प्रतिलिपि शुल्क का विभाजन विभिन्न हित धारकों के मध्य किया जायेगा, जो निम्नानुसार रहेगा:-

WebGIS Software से प्रतिलिपि प्रदाय करने की स्थिति में

राशि रूपये में

सेवा प्रदाता	प्रतिलिपि के पृष्ठ	मेसर्स भोपाल ई-गवर्नेस लिमि. भोपाल**	लोक सेवा केन्द्र	जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी	म.प्र.शासन *	कुल राशि
आई.टी.सेंटर	प्रथम पृष्ठ	13	0	0	17	30
	अतिरिक्त पृष्ठ	13	0	0	2	15
लोक सेवा केन्द्र	प्रथम पृष्ठ	10	15	5	0	30
	अतिरिक्त पृष्ठ	10	5	0	0	15
ऑनलाईन	प्रथम पृष्ठ	10	0	0	20	30
	अतिरिक्त पृष्ठ	10	0	0	5	15

* म.प्र.शासन की अंश राशि को मध्य प्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति द्वारा राज्य की संचित निधि में मुख्य शीर्ष 0029 उप लघुशीर्ष 00 लघु शीर्ष 800 स्कीम कोड 0024 में जमा किया जायेगा तथा सेवा प्रदाता की अंश राशि का भुगतान भी समिति द्वारा किया जायेगा।

** लोक सेवा केन्द्रों से **M/s Bhopal E-Governance Ltd.**, भोपाल को देय राशि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भुगतान की जायेगी।

NIC Software से प्रतिलिपि प्रदाय करने की स्थिति में

राशि रूपये में

सेवा प्रदाता	प्रतिलिपि के पृष्ठ	मेसर्स भोपाल ई-गवर्नेस लिमि. भोपाल	लोक सेवा केन्द्र	जिला ई-गवर्नेस सोसाइटी	म.प्र.शासन *	कुल राशि
लोक सेवा केन्द्र	प्रथम पृष्ठ	0	15	5	10	30
	अतिरिक्त पृष्ठ	0	5	0	10	15

* जिन जिलों में NIC सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिलिपि प्रदाय की जा रही है उन जिलों में मध्यप्रदेश शासन के अंश की राशि राज्य की संचित निधि में मुख्य शीर्ष 0029 उप लघुशीर्ष 00 लघु शीर्ष 800 स्कीम कोड 0024 में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी द्वारा चालान से कोषालय में जमा करायी जायेगी और इसकी सूचना संबंधित तहसीलदार को दी जायेगी।

Scanned by CamScanner

10. अपील-

10.1. आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा-

1- आवेदन पत्र अमान्य किये जाने की स्थिति में।

2- आवेदन का निराकरण समय सीमा में न होने पर।

10.2 अपील निम्नानुसार की जा सकेगी-

प्रथम अपील- पदाभिहित अधिकारी द्वारा किसी भी आदेश की प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व को होगी जो 30 कार्य दिवस में अपील का निराकरण करेंगें। आवेदक, आवेदन नामंजूर होने की स्थिति में आवेदन अमान्य किये जाने की तिथि से 30 दिवस में प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकेगा।

द्वितीय अपील- प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आवेदक द्वारा कलेक्टर को 60 दिवस में प्रस्तुत की जा सकेगी।

11. **आदेश निर्देशों का निरसन/अधिक्रमण-** कम्प्यूटरीकृत अभिलेख प्रतिलिपियों (एक साला, पांच साला खसरा या खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट, बाजिव-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक व A-4 आकार के नक्शे) की प्रति के शुल्क एवं प्रतिलिपि दिये जाने की समय सीमा एवं प्राधिकृत सेवा प्रदाता के संबंध में पूर्व में जारी म.प्र.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेश क्रमांक एफ 5-2/2014/सात-(एक) भोपाल दिनांक 04/01/2018 एवं आदेश क्रमांक एफ 5-3/2014/सात-1, भोपाल दिनांक 28.01.2014 तथा अन्य समस्त आदेश/निर्देश इस आदेश द्वारा अधिक्रमित किये जाते हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(मनीष रस्तोगी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

Scanned by CamScanner

पृष्ठा.क्रमांक एफ 5-2/2014/सात-(एक)/3588-13 भोपाल,दिनांक 31.07.2019

प्रतिलिपि-

1- मुख्यमंत्री के सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल।

2- मुख्य सचिव के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

3- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

4- प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।

5- उप राहत आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।

6- नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल।

7- सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

8- समस्त संभाग आयुक्त म.प्र.।

9- समस्त कलेक्टर म.प्र.।

10- समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) म.प्र.।

11- समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार म.प्र.।

12- मेसर्स भोपाल ई-गवर्नेन्स लिमिटेड, सी-10 चतुर्थ तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर, न्यूमार्केट भोपाल।

13- गार्ड फाइल।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

Scanned by CamScanner